बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 2006

पुस्तिका

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

ए0डी0आर0 सेन्टर, टोंक

घोषणा

इस पुस्तिका में बाल विवाह संबधी तथ्यों व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 2006 व नियम 2007 के प्रावधानों को सरल भाषा मे आम जनता तक विधिक प्रावधानों सहित बाल विवाहों के रोकथाम हेतू प्र ाासन की भूमिका की जानकारी पहुंचाना है।

पुस्तिका का प्रकाशन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जनहित में किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

फोन नं. : 01432–243851

email : legalaidtonk@gmail.com

अनुक्रमणिका

- आमुख
- परिचय
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम – 2006
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी
- सम्पर्क सूत्र बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

परिचय

हमारा देश भारत जंहा महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ माना जा रहा है वही दूसरी और सामाजिक बुराइयों का एक स्याहा पक्ष भी है जो भारत की Rising India की छवि के बिलकुल विपरित है। हमारे देश में विधमान बुराईयों में से एक बुराई बाल विवाह भी है जो 21 वी सदी में भी पूर्ण जोर शोर से जारी है। सयुक्त राष्ट् संध की रिपोर्ट के अनुसार भारत बाल विवाह के मामलों में विश्व में दुसरे स्थान पर है। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संबध माना जाता है जंहा दोनो पक्ष एक दूसरे को स्वतंत्र सम्मति से पति पत्नी स्वीकार करते है।

बाल विवाह सामाजिक समस्याओं में से एक है जो भारत को महिला अधिकारों के क्षेत्र में पीछे रखता है और अनेकों समस्याओं जैसे बढती जन्मदर, गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, कम जीवन प्रत्याक्षा, शिशु मृत्युदर को जन्म देता है।

भारतीय विधि के अनुसार, बाल विवाह वो है जिसमें लडकी की आयु 18 वर्ष कम और लडके की आयु 21 वर्ष से कम हो । भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते है। हमारे देश मे बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानुन बन गये हो, शादी की आयु सीमा भी तय कर दी गइ हो लेकिन परिणय सुत्र में बंधने वाले बालको के लिए आज भी से बेमानी है। देश में बाल विवाह आज भी जारी है। युनिसेफ की रिपोर्ट[1] के अनुसार विश्व के 40 प्रतिशत बाल विवाह भारम में होते है। लगभग सभी सम्प्रदायों में बाल विवाह का प्रचलन है खासतौर से राजस्थान में आखातीज पर बाल विवाह धडल्ले से होते है। मुस्लिम सम्प्रदाय बाहुल्य क्षेत्रों में छोटी उम्र में विवाह का प्रचलन है। युनिसेफ की रिपोर्ट[2] के अनुसार भारत में 47 प्रतिशत लडकियां विवाह की कानुनी रूप से मान्य आयु सीमा 18 वर्ष कम आयु में ब्याही गई है वही राजस्थान में 68 प्रतिशत लडकियों का विवाह मान्य आयु से पूर्व हुआ है जिसमें से 56 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से थी।

तृतीय राश्ट्रीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण वर्ष 2005 – 2006 के अनुसार 20 से 24 वर्ष की

---

[1] यूनिसेफ रिपोर्ट – विश्व में बच्चों की स्थिति – 2009

[2]यूनिसेफ रिपोर्ट – विश्व में बच्चों की स्थिति – 2009

आयु की विवाहित महिलाओं से विवाह के समय की आयु की जानकारी लेने पर पाया गया कि इनमें से 44.5 प्रतिशम का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में ही हो गया था, 22.5 प्रतिशत का विवाह 16 वर्ष से कम आयु में व 2.6 प्रतिशत का विवाह 13 वर्ष से कम आयु में ही हो गया था।

सन् 1978 में ही विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिए जाने के बावजूद सन् 2005–06 में भी 20 से 24 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं में से लगभग आधी का विवाह 18 वर्ष से पूर्व ही हो जाना इस बात का प्रमाण है कि विवाह की न्यूनतम आयु संबधी कानूनों का व्यवहार में पालन नही हो पा रहा है।

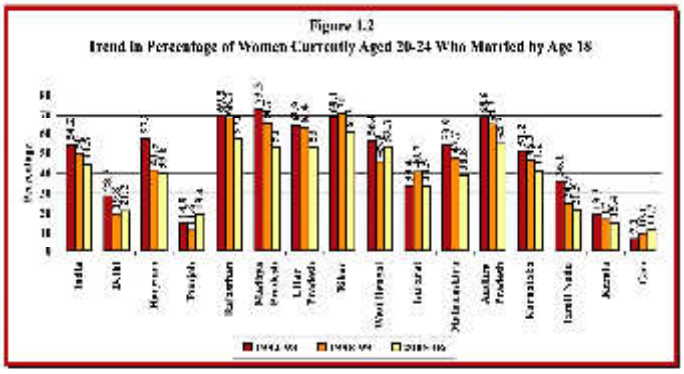

कठोर कानुन व नीतियों के बावजुद बाल विवाहों का आयोजन भारत के उत्तर भारतीय राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन है। आखातीज, गणे ा चतुर्थी, पीपल पुर्णिमा और फुलेरा दोज बाल विवाहों के लिए भ्ाुभ दिन माने जाते है।

राजस्थान के विशेष संदर्भ में देखा जावे तो तृतीय राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थय सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2005 –06 के अनुसार 20– 24 वर्ष की आयु वर्ग की 57.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु तक हो चुका था। जिसका शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित कर यह प्रतिशत क्रंमश 35.8 व 65.7 है।

तृतीय राश्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थय सर्वे रिपोर्ट वर्श 2005 –06 के अनुसार 44 प्रति ात महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही जाती है। वही ग्रामीण क्षेत्र में यह 52 प्रतिशत है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

भारतीय संविधान में विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के प्रावधान है। बाल विवाह पर रोक संबधी कानून सर्वप्रथम सन् 1928 में शारदा एक्ट बनाया गया व इसे 1929 में पारित किया गया। शारदा एक्ट के अनुसार नाबालिग लडके और लडकियों का विवाह करने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। इसके पश्चात सन् 1949, 1978, और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू है।

cky fookg ifr'k/k vf/kfu;e & 2006 d egRo/i.k ikо/kku

- बाल विवाह विवाह के बालक पक्षकार के विकल्प पर भुान्य है।
- विवाह के बालिका पक्षकार के भरण पोषणऔर निवास के संबध में प्रावधान।
- बाल विवाह के परिणामस्वरूप जन्मी संतान के अभिरक्षा और भरण–पोषण के संबध में प्रावधान।
- बाल विवाह से जन्मी संतान वैध।
- व्यस्क पुरूश के द्वारा नाबालिग महिला के साथ विवाह करने पर दण्ड का प्रावधान
- बाल विवाह करने पर दण्ड का प्रावधान
- बाल विवाह को बढावा देने अथवा अनुमति देने पर दण्ड का प्रावधान
- न्यायालय को विवाह रोकने के लिए व्यादे ा जारी करने की भाक्ति
- अपराध संज्ञेय व अजमानतीय।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

अधिनियम किन पर लागू है

बाल विवाह प्रतिषेधअधिनियम 2006 भारत के सभी नागरिको पर लागू है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य व पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनोसाओ का छोडकर संपूर्ण भारत पर है।[3]

बालक और बाल विवाह

बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु यदि पुरूष है तो 21 वर्ष से कम व यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम है।[4]

बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसमें विवाह के दोनो पक्षकार अथवा कोई एक बालक है अर्थात जिसकी आयु यदि पुरूष है तो 21 वर्ष से कम व नारी है तो 18 वर्ष से कम है।[5]

बाल विवाह शुन्यकरणीय

प्रत्येक बाल विवाह, बाल विवाह के पक्षकार बालक के विकल्प पर शुन्यकरणीय है बालक

---

[3] धारा 1(1)(2) बा. वि. प्र. अधिनियम– 2006

[4] धारा 2(क) बा. वि. प्र. अधिनियम–2006

[5] धारा 2(ख) बा. वि. प्र. अधिनियम–2006

पक्षकार विवाह को शुन्य घोषित करवाने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी पेश कर सकता है।[6]

न्यायालय विवाह को शुन्य घोषित करने की डिक्री के साथ साथ विवाह के समय दिये गये धन, मुल्यवान वस्तुएं, उपहार और आभूषण या उनके बराबर धन लौटाने का आदेश भी कर सकता है।[7]

भरण पोषण

न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाली बालिका विवाह के पुरूष पक्षकार से या उसके नाबालिग होने की स्थिति में उसके माता–पिता या संरक्षक से पुनर्विवाह होने तक भरण पोषण देने का आदे ा दे सकता है।[8]

बाल विवाह से जन्में बालक की अभिरक्षा और भरण पोषण

जिला न्यायालय बाल विवाह से जन्में बालक की अभिरक्षा और भरण पोषण के लिए बालक के

---

[6] धारा 3 बा. वि. प्र. अधिनियम– 2006

[7] धारा 3 (4) बा. वि. प्र. अधिनियम–2006

[8] धारा 4 बा. वि. प्र. अधिनियम– 2006

कल्याण और हितों को ध्यान में रखते हुए समुचित आदे ा कर सकता है।[9]

दाण्डिक प्रावधान

जो कोई

- 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष द्वारा बाल विवाह
- बाल विवाह करने वाला, संचालित करने वाला, दुश्प्रेरण करने वाला
- बाल विवाह अनुश्ठानित कराने वाला, भाग लेने वाला

दो वर्ष तक के कठोर कारावास और 1,00,000 रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।[10]

अपराध संज्ञेय व अजमानतीय

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।[11]

---

[9] धारा 5 बा. वि. प्र. अधिनियम– 2006

[10] धारा 9 से 11 बा. वि. प्र. अधिनियम– 2006

[11] धारा 15 बा. वि. प्र. अधिनियम– 2006

प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट / महानगर मजिस्ट्रेट की भूमिका

- प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट / महानगर मजिस्ट्रेट बाल विवाह प्रतिषेधअधिकारी के आवेदन या किसी व्यक्ति के परिवाद या अन्यथा सूचना मिलने पर कि बाल विवाह तय किया गया है तो ऐसे विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लघंन करता है तो वह 2 वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना जो 1 लाख रूपये तक का हो सकेगा से दण्डनीय होगा।[12]

निषेधाज्ञा के उल्लघंन में यदि कोई बाल विवाह किया जाता है तो वह प्रारम्भ से ही शुन्य होगा।

[12] धारा 13 बा. वि. प्र. अधिनियम– 2006

न्यायालय का क्षेत्राधिकार

धारा 3, 4, 5 के अधीन कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए जिला न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी या बालक रहता है या विवाह सम्पन्न हुआ है या प्रार्थी वर्तमान में रह रहा है या बाल विवाह के पक्षकार अंतिम बार साथ रहे है कार्यवाही की जा सकती है।[13]

बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी

राजस्थान सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेटस को बाल विवाह प्रतिषेधअधिनियम 2006 की धारा 16 के अन्तर्गत बाल – विवाह प्रतिषेधअधिकारी नियुक्त किया गया है।

बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य

- बाल विवाह रोकथाम हेतु कदम उठाना

[13] धारा 8 बा. वि. प्र. अधिनियम– 2006

- बाल विवाह आयोजन की ि ाकायत/सूचना मिलने पर तुरन्त रोकने के लिए उचित कार्यवाही करना।
- विवाह पंजीकरण रिकार्ड का समय समय पर निरिक्षण करना।
- बाल विवाह प्रतिषेधअधिनियम के उल्लधंन की द ाा में अधिनियम की धारा 4, 5, एंव 13 के अनुसार कार्यवाही करना।
- बाल विवाह नही करने और बाल विवाह के संभावित परिणामों के बारे में लोगो को संवेदन ाील बनाना और जागरूकता फैलाना।।
- जिला मजिस्ट्रेट का बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक त्रैमास के पहले सप्ताह में देना।

जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीकक्ष कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में अक्षय तृतीया पर बाल विवाहों पर कार्यवाही करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाते है।

रिवाजो के नाम पर इन्हे यूँ ना बांधों
बाल विवाह अभिशाप है नन्हों पर ये बोझ ना डालों।

fof/kd lsok laLFkk;sa

राज्य स्तर पर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ,
जोधपुर एंव जयपुर

जिला स्तर पर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

तालुक स्तर पर

तालुका विधिक सेवा समिति (तालुका के वरिष्ठतम
न्यायिक अधिकारी का कार्यालय)

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करे

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
फोन – 0141 – 2227481 फैक्स 0141 – 2227602
bZesy rj-slsa@nic.in osclkbZ!
www.rlsa.gov.in